राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

परिपत्र

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में वसूली हेतु प्रकरणों की समीक्षा उपरांत यह ध्यान में आया है कि जिला स्तर पर देरी किये जाने के कारण संबंधित कर्मचारी/जनसेवक/संविदा कर्मी से राजकीय हानि की वसूली नहीं हो पाती है और प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित रहता है।

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण में वसूली हेतु लम्बित प्रकरणों की समीक्षा किये जाने पर, प्रगति से अंसतोष व्यक्त किया गया है।

सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त निकाली गयी वसूली राशि के प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने बाबत निम्नानुसार निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है :–

1. सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी 10 दिवसों में यह सुनिश्चित कर लेवे कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कितने प्रकरण वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। इन वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों को भारत सरकार के नरेगा सॉफ्टवेयर की वेबसाईट (www.nrega.nic.in) पर अपलोड करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. वित्तीय अनियमितताओं वाले प्रकरणों में आगामी एक सप्ताह में संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से वसूली हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी/जन प्रतिनिधि/संविदा कर्मी के विरूद्व नोटिस जारी कर उन्हें 15 दिवस का समय देवे। जिसका स्मरण पत्र एक सप्ताह उपरांत पुनः देवें।

3. 15 दिवस में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर वसूली हेतु कार्यवाही करें। यदि वित्तीय अनियमितता के विरूद्व संबंधित कर्मचारी/अधिकारी/जन प्रतिनिधि अपने स्पष्टीकरण में अनियमितता से इंकार करता है, तो आगामी सात दिवस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर प्रकरण की समीक्षा कर यदि उचित समझे तो प्रकरण की जांच करवाये अथवा निदेशक सामाजिक अंकेक्षण को अपनी अभिशंषा सहित प्रकरण निस्तारण हेतु प्रस्ताव प्रेषित करें।

4. जन सेवक/संविदा कर्मी से वसूली योग्य राशि की वसूली न होने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत वसूली की कार्यवाही करें।

5. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय ने बजट सत्र के दौरान विधान सभा में लेखानुदान मांगो का जवाब देते हुए अवगत कराया कि वसूली के लिए केवल जन प्रतिनिधि ही उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए माप पुस्तिका में प्रविष्टि इन्द्राज करने वाला कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता तथा बिल पारित करने वाले सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी एवं ब्लॉक विकास अधिकारी भी उत्तरदायी होगें। अतः वसूली का उत्तरदायित्व समानुपातिक रूप से निर्धारित किया जावे तथा उनकी जिम्मेदारी भी तय की जावे।

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि समय–समय पर लम्बित वित्तीय प्रकरणों की समीक्षा करें एवं वित्तीय प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें तथा वसूली की प्रभावी कार्यवाही करें।

(अर्पणा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
राजस्थान सरकार

क्रमांकः एफ 61(57)SSAAT/वसूली /2019-20/7733-41 जयपुर, दिनांकः 12/5/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।
5. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर (ईजीएस) समस्त
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् समस्त को पालनार्थ।
7. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(संदीप चौहान)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं
पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)